7522 94009
16/07

# कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड,

(ओबराय मोटर्स, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248171)
फोन न०: 0135-2644967, फैक्स न०: 0135- 2644965

"विशेष मुद्रा प्राधिकार पत्र के अंतर्गत"

19 JUL 2018

पत्रांक-पी.ए./पेंशन/महंगाई राहत/उत्तराखण्ड/2018-2019/ 1028

दिनांक- 03.07.2018

सेवा में,

| | कार्यालय का नाम | राज्य | राजधानी | पिन कोड |
|---|---|---|---|---|
| 1. | महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) | गुजरात, | अहमदाबाद | 380009 |
| 2. | प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) | मेघालय, | शिलोंग | 793001 |
| 3. | महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) | आसाम, | गौहाटी | 781029 |
| 4. | महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) | झारखण्ड, | रांची | 834002 |
| 5. | महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) | बिहार, | पटना | 800001 |
| 6. | प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) | केरल, | तिरुवनंतपुरम | 695039 |
| 7. | प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) | मध्यप्रदेश, | ग्वालियर | 474002 |
| 8. | प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) | तमिलनाडु, | चेन्नई | 600018 |
| 9. | प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) | महाराष्ट्र, | मुंम्बई | 400020 |
| 10. | महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II | महाराष्ट्र, | नागपुर | 440001 |
| 11. | प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) | कर्नाटक, | बेंगलुरु | 560001 |
| 12. | प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) | उडीशा, | भुवनेश्वर | 751001 |
| 13. | प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) | पंजाब, | चंडीगढ़ | 160017 |
| 14. | प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) | हरियाणा, | चंडीगढ़ | 160047 |
| 15. | महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) | हिमाचल प्रदेश, | शिमला | 171003 |
| 16. | प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) | राजस्थान, | जयपुर | 302005 |
| 17. | महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)II | उत्तर प्रदेश, | इलाहाबाद | 211001 |
| 18. | महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) | पश्चिम बंगाल, | कोलकता | 700001 |
| 19. | महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) | जम्मू कश्मीर, | श्रीनगर | 190009 |
| 20. | महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) | मणिपुर, | इम्फाल | 795001 |
| 21. | महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) | त्रिपुरा, | अगरतला | 799006 |
| 22. | महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) | नागालैंड, | कोहिमा | 797001 |
| 23. | महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) | छत्तीसगढ़, | रायपुर | 492111 |
| 24. | महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) | मिजोरम, | आईजोल | 796001 |
| 25. | वरिष्ठ उप-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) | सिक्किम, | गंगटोक | 737102 |
| 26. | वेतन एवं लेखा अधिकारी-V, पेंशन, तीस हजारी, नई दिल्ली, | नई दिल्ली | - | 110124 |
| 27. | निदेशक, लेखा एवं कोषागार, गोवा सरकार, | गोवा, | पणजी | 403101 |
| 28. | निदेशक, लेखा एवं खजाना, (सघ क्षेत्र) | पोंडीचेरी | पोंडीचेरी | 605001 |
| 29. | निदेशक, लेखा परीक्षा एवं पेंशन | अरुणाचल प्रदेश, | नाहरलागन | 791110 |
| 30. | प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) | आंध्रप्रदेश, | हैदराबाद | 500004 |
| 31 | प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) | तेलंगाना | हैदराबाद | 500004 |

Transfered to PM-TS for n.a.

23/8/18
AAO/PM-AP

# कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड,

(महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195)

फोन न०: 0135-2643684, फैक्स न०: 0135- 2643683

## "विशेष मुद्रा प्राधिकार"

पत्रांक-पी.ए./पेंशन/2018-19/ दिनांक-

सेवा में,

सभी प्रधान/महालेखाकार(लेखा एवं हक़)

विषय- सातवें वेतन आयोग कि संस्तुतिया लागु होने पर राज्य कर्मचारियों को दिनांक:01/01/2016 से 31/12/2016 तक देय वेतन/भत्तों कि अवशेष एरियर राशि के भुगतान तथा देय वेतन भत्तों का भुगतान दो चरणों में (वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19) किये जाने के सम्बन्ध में, तथा 01/01/2016 से पुनरीक्षित पेंशन प्राप्त पेंशनरो को दिनांक:01/07/2017 से महंगाई राहत 5 प्रतिशत तथा 01/01/2018 से महंगाई राहत 7 प्रतिशत की स्वीकृति ।

संदर्भ-1.सचिव उत्तराखण्ड, शासन वित्त अनुभाग शासनादेश संख्या-202/XXVII(7)30(7)/2016 दिनांक:17/10/2017

2.सचिव उत्तराखण्ड, शासन वित्त अनुभाग शासनादेश संख्या-XXVII(7)30(7)/2016 दिनांक:13/11/2017

3.सचिव उत्तराखण्ड, शासन वित्त अनुभाग शासनादेश संख्या-XXVII(7)02/2016 दिनांक:06 /10 /2017

4.सचिव उत्तराखण्ड, शासन वित्त अनुभाग शासनादेश संख्या-147/XXVII(7)02/2016दिनांक:09/05/2018

**महोदय,**

वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी उपरोक्त आदेशों की प्रतियां संलग्न कर प्रेषित की जा रही है । अत: आपसे अनुरोध है की उक्त आदेश अपने छेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कोषाधिकारियों/पेंशन भुगतान अधिकारीयों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करें ।

**संग्लग्न-यथोपरि**

**भवदीय,**

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन

संख्या–202/XXVII(7)30(7)/2016

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–स0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांक 17 अक्टूबर, 2017

विषयः राज्य में सातवें वेतन आयोग की संस्तुति लागू होने के फलस्वरूप राज्य कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक देय वेतन/भत्तों की बकाया (एरियर) राशि के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू होने के फलस्वरूप राज्य कर्मियों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि के देय वेतन/भत्तों की बकाया राशि का भुगतान निम्न प्रक्रिया के तहत भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2016 तक की अवधि के अवशेष वेतन/भत्तों का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में तथा 01 जुलाई, 2016 से दिसम्बर, 2016 तक की अवधि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018–19 में किया जायेगा।
2. वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में उपरोक्तानुसार देय अवशेष राशि में से आयकर की कटौती करते हुए संबंधित कार्मिक के भविष्य निर्वाह निधि में जमा किया जायेगा। उक्त जमा राशि केवल ऐसे मामलों में जिनमें भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण देय हो, को छोड़कर अन्य मामलों में 01 वर्ष से पूर्व नहीं निकाली जायेगी।
3. ऐसे कार्मिक, जिनका भविष्य निर्वाह निधि खाता न खुला हो, को देय अवशेष राशि का नकद भुगतान किया जायेगा।
4. नई पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों को तदनुसार देय अवशेष धनराशि के 10 प्रतिशत के बराबर धनराशि संबंधित कार्मिकों के टियर–1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी तथा राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर–1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा। एरियर की अवशेष धनराशि सम्बन्धित कार्मिकों को नकद भुगतान की जायेगी।
5. दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 के मध्य सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों एवं अन्य ऐसे कार्मिकों, जो अन्य कारणों से सेवा से मुक्त हुए है, को उक्त अवधि के एरियर का भुगतान आयकर कटौती के उपरान्त नकद रूप में किया जायेगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग– 7
संख्या: ~ /XXVII(7)30(7)/2016
देहरादून, दिनांक 13 नवम्बर 2017

## कार्यालय–ज्ञाप

राज्य में सातवें वेतन आयोग की संस्तुति लागू होने के फलस्वरूप राज्य कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक के देय वेतन–भत्तों की अवशेष राशि (एरियर) का भुगतान दो चरणों में (वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19) किए जाने संबंधी शासनादेश संख्या–202/XXVII(7)30(7)/2016, दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 में आंशिक संशोधन करते हुए उसमें निम्न प्रकियाओं का समावेश किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. प्रथमतः समस्त आहरण–वितरण अधिकारी अपने अधिष्ठानान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों के छठे व सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत किए गए सभी वेतन निर्धारणों की सतर्कतापूर्वक जांच करेंगे। यदि कहीं नियमों के विपरीत वेतन निर्धारण किया गया हो तो नियमानुसार उसकी वसूली सुनिश्चित करेंगे।
2. बिन्दु संख्या 1 में अंकित निर्देशानुरूप कार्यवाही कर लिए जाने के उपरांत आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा कार्मिकों का एरियर बिल तैयार किया जाएगा और अनिवार्यतः यह प्रमाण पत्र बिल के साथ संलग्न किया जाएगा कि "संबंधित कार्मिक के छठे/सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत किए गए सभी वेतन निर्धारण प्रपत्रों की जांच कर ली गयी है और वह सभी सही हैं।"
3. यदि किसी प्रकरण में आहरण वितरण अधिकारी को छठे/सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में निर्धारित किये गये वेतन निर्धारण में त्रुटि दृष्टिगोचर हो तो नियमानुसार सही वेतन निर्धारित करते हुए अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वसूली एरियर के देयक से करते हुए समायोजन बिल प्रस्तुत किया जायेगा।
4. यदि किसी प्रकरण में वसूली की धनराशि आगणित एरियर से अधिक हो तो वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 भाग 1 के प्रस्तर 81 (3) अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।
5. इस अवधि में विभागीय वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ वित्त अधिकारी/जिन अन्य पदनामों से संबंधित विभाग में वित्त सेवा के अधिकारी तैनात हों, वे सभी अपने–अपने विभाग में वेतन निर्धारण सम्बन्धी टैस्ट चैकिंग सुनिश्चित करेंगे।
6. दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2018 के मध्य सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों एवं अन्य ऐसे कार्मिकों, जो अन्य कारणों से सेवा से मुक्त हुए हैं अथवा होंगे, को अवशेष वेतन/भत्तों का सम्पूर्ण भुगतान आयकर कटौती के उपरान्त इसी वित्तीय वर्ष में एकमुश्त नगद रूप में किया जायेगा।
7. पुनर्योजित/पुनर्नियुक्त हुए कार्मिकों के प्रकरण में आयकर कटौती करते हुए सम्पूर्ण भुगतान नकद रूप में किया जाएगा, किन्तु ऐसे प्रकरणों में चूंकि संबंधित पुनर्योजित कार्मिक का वेतन एवं पेंशन दोनों ही पुनरीक्षित हुयी होंगी, अतः आगणित वेतन एरियर में पुनरीक्षित पेंशन/पेंशन एरियर का भी ध्यान रखा जाएगा और यदि कोई रिकवरी की स्थिति [illegible] तो वह नियमानुसार कर ली जाय।

2– उक्त वर्णित शासनादेश संख्या– 202/XXVII(7)30(7)/2016, दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

DR – 43
DR – 21.06.18

क्रमशः.........2

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0–[illegible]–7
संख्या– /XXVII(7)02/2016
देहरादून: दिनांक: 06 अक्टूबर, 2017

## कार्यालय ज्ञाप

विषयः राज्य सरकार के 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों को मंहगाई राहत की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषय भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/9/2017–ई.II(बी), दिनांक 20 सितम्बर, 2017 के कम में 04 प्रतिशत के स्थान पर पुनरीक्षित पेंशन पर दिनांक 01 जुलाई, 2017 से 05 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

3. यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/ पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–1–252/दस/10(3)–81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत मंहगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

5. मंहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस से पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

Government of Uttarakhand
Finance (G.R-P.C.) Section-7
No- /XXVII(7)02/2016
Dehradun: Dated: 06 October, 2017

## Office Memorandum

**Subject: Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners which pension is revised from 01 January, 2016**

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief for Civil/Family pensioners w.e.f. 01-07-2017 @ 5% instead of 4% according with the Office Memorandum No. 1/9/2017-E.II(B) Dated 20 September, 2017 of Ministry of finance, Government of India.

2. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

3. These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State Govt. under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at per with the pensioners of the State Government.

4. As per orders issued in Om No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

5. Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

(Radha Raturi)
Principal Secretary.

Contd.....2

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0--वे0आ0)अनुभाग--7
संख्या-- 147 / XXVII(7)02 / 2016
देहरादूनः दिनांकः 09 मई, 2018

## कार्यालय ज्ञाप

विषयः राज्य सरकार के ऐसे सिविल / पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित की गयी है को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या--189 / XXVII(7)02 / 2010 दिनांक 06 अक्टूबर, 2017 द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिकमित करते हुए दिनांक 01 जनवरी, 2018 से 05 प्रतिशत के स्थान पर 07 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत पुनरीक्षित अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

3. यह आदेश शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन / पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या--ए--1--252 / दस / 10(3)--81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत महंगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

5. महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस से पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

आज्ञा से,
(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

Government of Uttarakhand
Finance (G.R-P.C.) Section-7
No- 147 /XXVII(7)02/2016
Dehradun: Dated 09 May, 2018

## Office Memorandum

**Subject:** **Grant of Dearness Relief of such civil/family pensioners of the State Government whose pension is revised according with the recommendation of the 7th pay Commissions.**

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f. 01-01-2018 @ 05% instead 07% superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 189/XXVII(7)02/2010 Dated 06 October, 2017 for those pensioners whose pension is revised according with the recommendation of the 7th pay Commissions.

2. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective.

3. These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at per with the pensioners of the State Government.

4. As per orders issued in Om No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

5. Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

By Order,
(Amit Singh Negi)
Secretary